



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक संचालक उद्यान के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा - 2023

विज्ञापन क्रमांक 40/2023-Assistant Director Horticulture/ 28.12.2023

ऑनलाइन आवेदन करने की

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन

अंतिम तिथि 13.03.2024

महत्वपूर्ण

- 1- मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक संचालक उद्यान के कुल 09 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
शैक्षणिक अर्हता
उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर
रोज़गार पंजीयन -
(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2023 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2023 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कर हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
- 2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2024 से दिनांक 13.03.2024 तक www.mponline.gov.in, तथा <https://mppsc.mp.gov.in> पर भरे जा सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 17.02.2024 से दिनांक 15.03.2024 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- 3- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की OMR आधारित परीक्षा इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि की जानकारी, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी।
- 4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
- 5- प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
- 6- आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
- 7- आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 8- प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से

प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- 9- आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 10- आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 10- आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, अतएवं इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 11- उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अधीन रहेगा।
- 12- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएँ और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				कुल पदों की संख्या
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD	
1	सहायक संचालक उधान	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	9
मुख्य भाग (87%)		2	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	8
प्रावधिक भाग (13%)		1 काल्पनिक	1	1
Abbreviations:		UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections OH -Orthopedic Handicapped, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability														

दो पद का विवरण

- 01 पद का नाम : सहायक संचालक उधान
 विभाग का नाम : उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
 श्रेणी : राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
 पद स्थिति : स्थायी
 वेतनमान : रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
 पद के कर्तव्य : मैदानी क्षेत्रों में उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन

तीन शैक्षणिक अर्हता : उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर

- टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताएँ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएँ अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी। बड़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।
- (4) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
- (5) अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के रूप में मान्य हैं, आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।
- (6) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(7) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

(8) दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षण तथा छूट हेतु पात्र हैं जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करते हैं।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें जुड़वा या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि सेवाकाल के दौरान किसी भी समय उसकी अनर्हता प्रमाणित होती है तो उसका चयन निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाएगा।

छः आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2024

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :-

(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की तिथि, परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर यथासमय प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, इस प्रकार उनके लिए परीक्षा के प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ऋणात्मक मूल्यांकन:- प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नपत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक कम किया जाएगा।

(3) परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया:-

(क) अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु :-

प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर संबन्धित प्रवर्ग हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का समायोजन:-

अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की भांति बिना किसी छूट के चयनित होते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा।

- (4) परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।
- (5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर सूचित किया जाएगा।
- (6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
- (7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- (8) चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस फोटो पहचान-पत्र :- प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्नांकित में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

- | | |
|---------------------|--|
| 1 पासपोर्ट | 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 मतदाता पहचान पत्र | 7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 ड्रायविंग लायसेंस | 8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 पैन कार्ड | 9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र |
| 5 आधार कार्ड | |

ग्यारह आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -3 का अवलोकन करें।

बारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए e-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर e-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

तेरह संक्रामक रोगों के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

चौदह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -1
- (ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -2
- (iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -3
- (iv) परीक्षा से संबन्धित अन्य निर्देश परिशिष्ट-4


(प्रबल सिपाहा)

सचिव

०६

परिशिष्ट -1

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

- (1) मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/ दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी ।

तथा

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- (2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

- (2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. सहायक संचालक उद्यान के पद के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी।
6. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीद्वारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
7. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। आयोग को दस्तावेज भेजने की तिथि तक किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा

6

विज्ञापन क्रमांक:- 40/2023-Assistant Director Horticulture दिनांक 28.12.2023
परीक्षा का नाम :- के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2023

आवेदक का नाम :- रोल नम्बर :-

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संचयी योग
1.	उपस्थिति पत्रक -01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
2.	व्यक्तिगत विवरण -01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुत करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नहीं करना है।)	पृष्ठ क्रमांक तक से
3.	अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
4.	घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) - 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
5.	हाईस्कूल की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
6.	हायर सेकण्डरी की अंकसूची ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
7.	स्नातक समस्त वर्षों की अंकसूचियाँ एवं उपाधि।	पृष्ठ क्रमांक तक से
8.	मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में म.प्र. राज्‍यी का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र । (साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम (पृथक से अधिसूचित की जाएगी) की तिथि तक)	पृष्ठ क्रमांक तक से
9.	मध्यमप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति । (प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है ।)	पृष्ठ क्रमांक तक से
10.	आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र । (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्या होंगे) (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक तक से
11.	मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र-01 मूल प्रति । (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 अथवा उसके पूर्व जारी)	पृष्ठ क्रमांक तक से
12.	मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्लू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2023-24 का वैध ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
13.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक से
14.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति । अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन	पृष्ठ क्रमांक तक से

	आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्न करें।		
15.	मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र -01 मूल प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से
16.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज की प्रति एवं सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति।	पृष्ठ क्रमांक तक से
17.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र। कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पैन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक तक से
18.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तावेजों की छायाप्रति। (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक तक से
19.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार पर अभ्यर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक तक से
20.		पृष्ठ क्रमांक तक से
		कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या :-

आवेदक के हस्ताक्षर

* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-दो में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है। इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

०६

परिशिष्ट-3

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

- 1- सहायक संचालक उधानके पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
 - 1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र www.mponline.gov.in, तथा <https://mppsc.mp.gov.in> वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे।
 - 3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
 - 4- अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
 - 5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है, उसी प्रकार जानकारी भरें।
 - 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है, वही प्रामाणिक जानकारी है, अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़-समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
 - 7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop-up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः आवेदन में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop-up window में OK बटन दबाकर आवेदन सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा, जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
- 8-

<p>त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 17.02.2024 से 15.03.2024 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क ₹ 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु ₹ 250 निर्धारित है। अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि ₹ 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ दिव्यांगता) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।</p>
--
- 9- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2 परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित, जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-
<p>सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा।</p> <p>आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।</p> <p style="text-align: center;">हेल्पलाइन :- 0755-6720200</p> <p>केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।</p>	

3 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13.03.2024 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाण पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन

का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

में _____ के विज्ञापन क्रमांक 40/2023-Assistant Director Horticulture, दिनांक 28.12.2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं _____-पिता श्री_____ निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/_____जिला _____, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। मैं _____जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा मध्य प्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।

2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

हस्ताक्षर_____

नाम_____

रोल नंबर _____

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

शासकीय सेवकों हेतु :- नियुक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

- 5 जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियुक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

- 6 अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहरा सकेगा और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताएं:- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in/> पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in/> पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दृष्टिबाधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित हो।

3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

66

परिशिष्ट-4

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

- टीप - ओ.एम.आर.शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा अतः ओ.एम.आर.शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानी पूर्वक करें।
- 1 आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाएं।
 - 2 गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
 - 3 ओ.एम.आर.शीट पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
 - 4 ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
 - 5 उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
 - 6 आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (✗) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी।
 - 7 ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिए - सामान्य निर्देश -

(अ) प्रश्नों के उत्तर: ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/ मिटाने/ वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिए बने खानों में प्रविष्टि के लिए काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A,B,C,D set में से कोई एक ही सेट दिया जाएगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) हस्ताक्षर - ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिए काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात् ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जाएगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियाँ सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जाएगा।

8. रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़ों का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाए अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात् पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवे स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।

अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

रोल नं.	चित्र 1				
6	8	4	0	2	1
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

- 01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितान्त प्रावधिक है।
- 02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- 03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।
- 04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएँ। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

- 01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
- 02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
- 03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किए जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
- 04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जाएगा। निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिए गए A, B, C, D प्रश्न पत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-B को काला किया है।

चित्र- चार

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर.शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व / दौरान / पश्चात् प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों / व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जा कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच - प्रश्न संबंधी शिकायत

परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/ मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 05 दिवस की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के पश्चात् या किसी अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/- रुपए (Non-Refundable) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपए 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्यता दिया जाएगा।

4. ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/ पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान करते हुए, जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन कर, प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

छ: - ओ.एम.आर.शीट का लौटाना -

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जाएगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात - ओ.एम.आर.शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

- 1 ओ.एम.आर.शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्न पत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिए गए निर्देशों को गम्भीरता पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियों की जाएं।
- 2 ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिए गए पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सहलेखक संबंधी नियम

अ. अभ्यर्थियों का विवरण जिन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी :-

- 1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पाल्सी से दिव्यांगजन परीक्षार्थी।
- 2 मानसिक रूप से संतम (स्पेस्टिक) डाइसलेक्सिक पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
- 3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
- 4 आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।
- 5 उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों को सहलेखक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

ब. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक समय की सुविधा प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सुविधा लेने हेतु अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी मय दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व संबंधित परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। अपरिहार्य कारणों से पूर्व में आवेदित लेखन सहायक उपस्थित न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के सत्यापन उपरांत नियमानुसार निर्धारित शर्तों के अनुरूप योग्यताधारी अन्य लेखन सहायक की सुविधा हेतु अनुमति दी जा सकेगी। लेखन सहायक से घोषणा-पत्र भरवाया जाएगा।

(i) लेखन सहायक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

लेखन सहायक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा की अर्हता से कम होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता स्नातक उपाधि है तो लेखन सहायक की योग्यता स्नातक से कम होना चाहिए। (अर्थात् स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए) यदि किसी पद की परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि है, तो सहलेखक की योग्यता स्नातकोत्तर उपाधि से कम होनी चाहिए (अर्थात् स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए)

(ii) प्रतिपूरक समय हेतु शर्तें :-

ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें उपरोक्तानुसार सहलेखक की सुविधा प्रदान की गई है, निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

स. इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं :-

यथा संभव ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा।

द. अभ्यर्थी को पात्र सहलेखक साथ में लेकर परीक्षा हेतु आना होगा। आयोग/केन्द्राध्यक्ष द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

टीप:-

1. उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त दिव्यांगजन सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं निर्णय लिए जाने हेतु आयोग के सर्वाधिकार सुरक्षित रहेंगे।
2. दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सहलेखक एवं भूतल पर बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता है वे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त आवश्यकताओं की प्रविष्टि करेंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आकस्मिक दुर्घटना एवं बीमारी के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अभ्यर्थियों को उक्त सुविधाएँ उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर ही देय होगी।

ग्यारह विविध

- 1 परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
- 2 परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजीटल डायरी, वॉच, केल्व्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित हैं।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह- अनुशासन व शालीनता

- 1 परीक्षा कक्ष में धूमपान करना / अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
- 2 परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
- 3 परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
- 4 यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किए जाए। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

6